रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 16 नवम्बर, 1983/25 कार्तिक, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(C-SECTION)

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 5th November*, 1983

No. GAD(GI)-6(F)-40/78-GAC.—Consequent upon the upgradation of Tehsil Churah to a Sub-Division with its headquarters at Tissa, issued *vide* notification No. GAD(GI)-6(F)-12/77-GAC. III, dated the 24th January, 1980, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to name the erstwhile Churah Sub-Division comprising of Churah and Chamba tehsils as Chamba Sub-Division with headquarters at Chamba, with territorial jurisdiction of Tehsil Chamba only.

By order,
M. K. KAW,
Commissioner-cum-*Secretary*.

श्रम, रोजगार एवं मुद्रण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 नवम्बर, 1983

संख्या. 7-43/76-एल0 ई0 पी0-श्रम.—जबकि परिसंकटग्रस्त कृषि व्यवसायों में नियोजित व्यक्तियों को कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की द्वितीय अनूसूचि में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव को समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 अगस्त, 1976 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश में 26 फरवरी, 1977 को उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप एवम् सुझाव आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशन किया गया था;

और जबकि नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अत:, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 2 की उप-धारा (3) द्वारा उनमें विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित व्यवसायों में नियोजित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित करते हैं:—

(1) जंगलों को साफ करने या भूमि या तालाबों को ठीक करने में नियोजित जिसमें पूर्ववर्ती 12 महीनों में किसी एक दिन में भी 15 से अधिक व्यक्ति नियोजित किये गये हों;

(2) खेती-बाड़ी या पशुओं का पालन पोषण व अनुरक्षण या जंगल के कामों में या मछली पालन में नियोजित हो जिसमें पूर्ववर्ती 12 महीनों में 15 से अधिक व्यक्ति किसी एक दिन में भी नियोजित किये गये हों;

(3) तालाबों, झीलों, नदियों आदि से जल उठाऊ कार्य में प्रयुक्त होने वाले पम्प के उपकरणों को स्थापित करने, अनुरक्षण और मुरम्मत में लिपिकीय हैसियत के अतिरिक्त नियोजित;

(4) बोर बैल, बोर-कम-डग बैल, फिलटर पवांईट आदि के निर्माण कार्य, मुरम्मत या अनुरक्षण में लिपिकीय हैसियत के अतिरिक्त नियोजित;

(5) किसी खुले कुएं को तकनीकी साधन से बनाने, छिद्र करने या गहरा करने में लिपकीय हैसियत के अतिरिक्त नियोजित;

(6) कृषि प्रकोपों का पौधा रोपण में, कीट नाशक दवाईयों का छिड़काव और चुर्ण डालने में नियोजित।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस अधिनियम के उपबन्ध व्यक्तियों की इन श्रेणियों को उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची (1 और 2) में विनिर्दिष्ट क्षति के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

यह आदेश तुरन्त लागू होंगे।

आदेश द्वारा,
आर0 के0 आनन्द,
आयुक्त एवं सचिव।

Authoritative English Text of Notification No. 7-43/76-LEP-Shram dated 31-12-83 is hereby published for the general information as required under clause (3) of Article, 348 of the Constitution of India.

LABOUR, EMPLOYMENT AND PRINTING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st November, 1983

No. 7-43/76-LEP-Shram.—Whereas the proposal to add the persons who are employed in hazardous occupations of Agriculture in the Second Schedule of the Workmen's Compensation Act, 1983 was published in the Himachal Pradesh Rajpatra dated the 26th February, 1977, *vide* Notification of even No, dated the 26th August, 1976, for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby;

And whereas no objections or suggestions were received within the stipulated period;

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him *vide* sub-section (3) of section 2 of the Workmen's Compensation Act, 1923 is hereby pleased to add the persons employed in the following occupations, in the Second Schedule of the said Act:—

(*i*) employed in clearing of jungles or reclaiming land or ponds in which on any one day of the preceding twelve months more than fifteen persons have been employed;

(*ii*) employed in cultivation of land or rearing and maintenance of live stock or forest operations or fishing in which on any one day of the preceding twelve months than fifteen persons have been employed;

(*iii*) employed, otherwise than in clerical capacity, installation. maintenance, repair of pumping equipment used for lifting of water from wells, tubewells, ponds, lakes, streams etc.;

(*iv*) employed, otherwise than in clerical capacity in construction, working, repair or maintenance of a borewell, bore-*cum*-dugwell, filter point etc.;

(*v*) employed, otherwise than in clerical capacity in the construction boring or depending of an open well through mechanical contrivances;

(*vi*) employed in spraying and disting of insecticides or pesticides in agricultural operations/or plantations.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to direct that the provisions of this Act shall apply to these classes of persons in respect of injuries as specified in schedule 1 (Part-I and II) of the aforesaid Act.

These orders shall come into force with immediate effect.

By order,

R. K. ANAND,
Secretary.

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 नवम्बर, 1983

संख्या 8-14/81 एल0ई0पी.—न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यूनतम वेतन नियम, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में यथा अपेक्षित इस संशोधन को जन साधारण और उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त संशोधन पर विचार हिमाचल प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के समापन पर किया जाएगा।

अत: इससे प्रभावित होने वाले को कोई आक्षेप या सुझाव हो तो सचिव (श्रम-रोजगार एवं मुद्रण) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को ऊपर दिए गये समय के भीतर दे सकता है और इस सम्बन्ध में दिये गये आक्षेप या सुझाव पर संशोधन को अन्तिम रूप देने से पहले राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन

Amendment of Rule 28.—After the existing sub-rule 6 of Rule 28 of the Himachal Pradesh Minimum Wages Rules, 1978, the following new sub-rule (7) shall be added, namely:—

"Notwithstanding anything contained in this rule, the employer, who engaged the employees in the scheduled employment of Agriculture, shall be required to maintain only 'Attendance Register-*cum*-Payment Register' and shall preserve the same for a period of six months after the date of last entry made in the Register.".

By order,

R. K. ANAND,
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 31*st October*, 1983

No. LSG-A(4)-25/78.—In modification of this department letter of even number, dated the 1st February, 1983, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by clause (*e*) of sub-section(1) of section 257 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 is pleased to appoint the Tehsildar Chowari as President of the N.A.C. Chowari in place of the Naib-Tehsildar Chowari, District Chamba with immediate effect.

By order,
Sd/-
Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 2 नवम्बर, 1983

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0-ए0(5)-80/77.—क्योंकि श्री जगदीश चन्द, निलम्बित प्रधान ग्राम पंचायत, चूहन, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा ने:—

(1) मु0 3000/-रु0 दिनांक 21-3-79 को पंचायत निधि से गन्दम व कण्ट्रोल का कपड़ा खरीद हेतु प्राप्त किया जो कि पंचायत प्रस्ताव के अनुसार सहकारी सभा को दिया जाना था परन्तु यह राशि सहकारी सभा में जमा न करके व्यक्तिगत रूप में प्रयोग की गई और अपने पद व पंचायत निधि का दुरुपयोग किया,

(2) बिना प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करके मु0 3000/- रुपये पंचायत घर की मुरम्मत हेतु व्यय किये,

(3) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 8 के अनुसार गत वर्षो का आय-व्यय ग्राम सभा के सम्मुख नहीं रखा,

(4) बिना किसी औचित्य के मु0 1388/- रु0 अनियमित अग्रिम धन दिनांक 11-10-82 को लिए जोकि उनके पास 27-4-83 तक रहा, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (साधारण) वित्त, बजट, लेखा आडिट कराधान, 1965 के नियम 14 का उल्लघंन है,

(5) दिनांक 27-4-83 को मु0 950/- रु0 फर्निचर हेतु श्री कृष्ण चन्द को पेशगी दी तथा उक्त दिनांक को मु0 500/- रु0 चौकीदार को चिकित्सा हेतु पेशगी भुगतान दिखाया, जोकि अनियमित है तथा वर्ष 1983-84 का बजट पारित नहीं कराया,

(6) वर्ष 1981-82 व 82-83 में अनाधिकृत रूप से राशन कार्ड जारी किये जिसका रिकार्ड पंचायत में नहीं रखा। उक्त अवधि में आडिट रिपोर्ट अनुसार मु0 624/- रुपये राशन कार्ड शुल्क/दान लोगों से प्राप्त किया जिसे पंचायत निधि में जमा नहीं करा कर इस राशि का दुरूपयोग किया,

(7) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (साधारण) वित्त, बजट, लेखा आडिट, कराधान, 1965 के नियम 8 की उल्लंघना करते हुए बिना किसी औचित्य के मु0 1538/- रु0 पंचायत निधि दिनांक 14-8-83 से 27-9-83 तक अपने पास रखी जो कि पंचायत निधि का अस्थाई दुरुपयोग किया,

(8) दिनांक 13-5-83 को मु0 350/रु0 बिना बजट स्वीकृति के दरी खर्च का दिखाया गया है जो अधिक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन करते समय मौके पर नहीं पाई गई जो कि पंचायत निधि व स्टाक का दुरुपयोग है,

और क्योंकि उक्त प्रधान के विरुद्ध आरोपों में वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच करवानी आवश्यक है,

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री जगदीश चन्द के विरुद्ध आरोपों में वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(डी) के अन्तर्गत नियमित जांच करने हेतु उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) डलहौजी को जाँच अधिकारी नियुक्त करते हैं। वह अपनी रिपोर्ट उपायुक्त चम्बा को टिप्पणियों सहित एक मास तक इस निदेशालय को देंगे।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th October, 1983

No. Shiksha-II(TE)Chha(5)1/80.—In pursuance of the Himachal Pradesh Government notification of even number dated the 8th July, 1983, transferring Training Institutions *viz.* ITIs/RITIs and G.I.T.Is. etc. to the Directorate and Department of Technical Education, Vocational and Industrial Training from the Employment and Training Directorate and Industries Directorate, Himachal Pradesh respectively, the Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the Vocational Rehabilitation Training Centre, Bilaspur (previously at Sundernagar) is hereby transferred from the Labour Employment and Training Directorate to the Directorate of Technical Education, Vocational and Industrial Training, Sundernagar along with its assets in the form of machinery and equipment, etc.

By order,
C. P. SUJAYA,
Commissioner-cum-*Secretary*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।